(270)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(397)नविवि/3/07 जयपुर दिनांक: 02.11.07

:: आदेश ::

विषय: धारा–90 बी के तहत नियमन में (तकासमे के अभाव मे नियमन में बाधा) कृषि से गैर कृषि भूमि उपयोग होने के कारण सरकारी भूमि घोषित किया जाकर नियमन राशि के संदर्भ में

धारा–90 बी के जिन प्रकरणों में भू–उपयोग कृषि से अकृषि हो गया है। खातेदारों द्वारा बिकासमा कराये गैर सहकाश्तकारी की भूमि का बेचान कर दिया गया है वहां प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि उपयोग होने के कारण स्वप्रेरणा से हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर धारा–90 के अन्तर्गत संबंधित हिस्से तक आदेश जारी कर एक विशेष श्रेणी की सरकारी भूमि मानते हुए नियमितिकरण किया जा सकता है।

इस संदर्भ में नियमन हेतु विभाग द्वारा दिशा निर्देशों के तहत सरकारी भूमि के नियमितिकरण करने पर नियमितिकरण हेतु आवासीय आरक्षित दर की 25प्रतिशत राशि ली जाती है। अतः इस 25प्रतिशत राशि के स्थान पर सिर्फ उक्त प्रकार के प्रकरणों में नियमन हेतु संबंधित जोन की नियमन राशि के समान ही राशि ली जाये। जैसे अन्य कृषि भूमियों का अकृषि उपयोग हेतु क्षेत्रवार नियमितिकरण की दरें निर्धारित है। उन्हीं दरों पर उक्त प्रकरणों का नियमन किया जाये। इस संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अधिक्रमण में यह आदेश जारी किया जा रहा है। उक्त आदेश राजस्थान के समस्त स्थानीय निकायों, समस्त नगर विकास न्यासों एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल पर तत्काल प्रभावशील होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त जारी किया गया है।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, ...।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव